मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में पीपीटी के माध्यम से त्रि–वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2011–12

1.1	शासकीय **(Government)** क्षेत्र के अंतर्गत (अ) मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 1–20
1.2	निजी **(Private)** क्षेत्र के अंतर्गत (अ) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 21–34
1.3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 35–51

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सत्र 2011–2012 के लिये प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2011–2012 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश नियम निम्नानुसार है :–

1.1 **सामान्य :**

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.2 **परिभाषायें :**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. व्यापम : का तात्पर्य है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
4. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
7. ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत ऐजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री–पोलीटेक्निक टेस्ट;
8. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
9. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
11. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदा0 सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H), बिना वर्ग (X).
12. ''OP'' सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी.
13. ''F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.

14. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है, दिया जावेगा।

1.3 **लागू होनाः–** ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.4 **प्रवेश नियमः–**

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1.41 <u>स्थानों की उपलब्धता</u>

संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :–

स.क्र.	**संस्था का प्रकार**	**प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2011–12 के लिये**
1	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय	95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की

दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टिप्पणी :

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारुप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **<u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :</u>**

जम्मू एंव काश्मीर राज्य विस्थापितों के लिये प्रत्येक शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित प्रत्येक स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप–12 में जम्मू काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप– 13 में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ढ़) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

अ) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा ।

सैनिक वर्ग (S) :–

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत् प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकंलाग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं । भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण –पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय –4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप–4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रारूप –4 भाग ''ब'' में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे ।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप –5 में) एंव उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रारूप–8 में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।

अथवा

वह 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का /की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र प्रारूप –5 में)।

टिप्पणीः सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रीयों/नातीयों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं । इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणीः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से प्रारूप –6 मे प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ब) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड'' क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./एफ–5–5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें ।

(स) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी :–

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्व विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

(ण) मध्यप्रदेश राज्य शासन के **चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों** को अतिरिक्त सुविधाः–

यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी : "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(त) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम दिनांक ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैः–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण} होना अनिवार्य होगा ।

नोटः–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा ।
2. पीपीटी–2011 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2010–11 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू –काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रारुप–8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप–9 में) ,

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–10 में) ,

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–11 में) ,

स्पष्टीकरण–1 अभिभावक :–

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती

है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो , ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

1.4.4 <u>प्रवेश की रीति</u>

राज्य या केन्द्रीय सरकार व्दारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों व्दारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी–2011 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।

1.5 <u>प्रवेश की प्रक्रिया</u>

1.5.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.5.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

1.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा

अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे ।

1.5.2.2 <u>अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन</u> – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

1.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

1.6.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पी.पी.टी. 2011 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

1.6.2 <u>प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार</u>

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.पी.टी.–2011 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारुप 14 में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.6.3 <u>योग्यता क्रम सूचियां</u>

1.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी..पी.टी. –2011 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

1.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.पी.टी. 2011 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –

प्रथम गणित, द्वितीय विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन)

टिप्पणीः–

1. सभी प्रश्न पत्रों में एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. 1.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

1.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

1.6.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की **सीटों,** शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, **जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये** प्रवेश केवल PPT- 2011 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

1.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई **योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा** प्रवेश दिया जावेगा।

1.6.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org /www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.6.4.4 **मूल प्रमाण–पत्र**

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें।उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

1.6.4.5 काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य शासन अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों अथवा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सीटों के विरूद्ध प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्रा को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करें, चाहें उसके मेरिट अंक कुछ भी हों। ऐसे प्रकरण किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में चार सीटों से अधिक नहीं

होंगे तथा इस प्रकार स्थानांतरित छात्र/छात्रा को इंजीनियरिंग की वहीं ब्रांच मिलेगी जिसमें उसने काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में प्रवेश लिया होगा ।

1.6.4.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

1.7 प्रवेश का क्रम :–

1.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान ***मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों*** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

1.7.2 ***मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों*** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

1.7.3 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

1.7.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक–पृथक अथवा साथ–साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त

स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा .

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों । महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा.

1.8 प्रवेश का रद्द किया जानाः—

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) *यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से ₹ 1000/— की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी । तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।*

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :—

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग

(यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा.

1.9 **<u>शिक्षण तथा अन्य फीस :–</u>**

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.10 उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.11 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.12 क्षेत्राधिकार–
किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

तालिका–1

सत्र 2011–2012 में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संस्थावार एवं ब्रांचवार संभावित सीटों की संख्या

Sr.	Institution	Branch	Intake
		GOVERNMENT AUTONOMOUS POLYTECHNIC COLLEGE	
1	Bhopal (S V Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	55
		ELECTRICAL	65
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	65
		INFORMATION TECHNOLOGY	55
		CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT	60
		PRODUCTION ENGG.	60
		ARCHITECTUTRAL ASSISTANTSHIP	30
		MECHANICAL	60
2	Damoh	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
3	Dhar	COMPUTER SCIENCE	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
4	Gwalior (B R Ambedkar Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		TEXTILE TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
5	Jabalpur (Kala Niketan Polytechnic College)	CIVIL	59
		AUTOMOBILE ENGG.	60
		COMPUTER SCIENCE	56
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	66
		INFORMATION TECHNOLOGY	56
		PRINTING TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
6	Jaora	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60

7	Khandwa	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		REFRIGERATION & AIR CONDITIONING	60
		MECHANICAL	60
8	Nowgong	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
9	Ujjain	COMPUTER SCIENCE	60
		CHEMICAL ENGG.	60
		REFINERY & PETROCHEMICAL	60
		PLASTIC TECHNOLOGY	60
		CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
		TOTAL	**3207**
		GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE	
10	Alirajpur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		CIVIL	60
11	Anuppur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
12	Ashoknagar	CIVIL	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
13	Badwani	COMPUTER SCIENCE	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	30
		CIVIL	30
		REFRIGERATION & AIR CONDITIONING	30
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	30
14	Balaghat	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
15	Betul	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60

16	Dabra	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
17	Datia	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		ELECTRICAL	60
18	Dewas	MECHANICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
19	Dindori	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
20	Harda	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
21	Jawad	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
22	Katni	MECHANICAL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
23	Khirsadoh	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
24	Khurai	CIVIL	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
25	Mandsaur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
26	Morena	COMPUTER SCIENCE	10
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	10
		ELECTRICAL	10
		MECHANICAL	10
27	Pachore	ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
28	Raghogarh	ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION	60
29	Raisen	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		CIVIL	60
30	Rewa	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	60
31	Sanawad	CIVIL	60
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60

32	Satna	COMPUTER SCIENCE	60
		CEMENT TECHNOLOGY	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
33	Seoni	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
34	Shahdol	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
35	Shajapur	ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
36	Sheopur	MECHANICAL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
37	Shivpuri	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
38	Sidhi	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
39	Tikamgarh	COMPUTER SCIENCE	60
		MECHANICAL	60
40	Umaria	MECHANICAL	60
		ELECTRICAL	60
41	Waidhan	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
		CIVIL	45
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		TOTAL	**5245**
GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE			
42	Bhopal (GWP)	ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN	60
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
43	Gwalior (GWP)	COMPUTER SCIENCE	60
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	60
		TEXTILE DESIGN	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
44	Jabalpur (GWP)	COMPUTER SCIENCE	60
		FOOD TECHNOLOGY	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		TOTAL	**660**

GOVERNMENT WOMEN'S AUTONOMOUS POLYTECHNIC COLLEGE			
45	Indore (Women Polytechnic College)	ARCHITECTUTRE & INTERIOR DESIGN	**60**
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	**60**
		COMPUTER SCIENCE	60
		TOTAL	**180**
GOVERNMENT WOMEN'S (SPECIAL CO-ED) POLYTECHNIC COLLEGE			
46	Bhind	COMPUTER SCIENCE	60
47	Burhanpur	CIVIL	30
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	30
48	Chhindwara	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS	30
		COMPUTER SCIENCE	60
49	Khargone	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		COMPUTER SCIENCE	60
50	Narsinghpur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
51	Panna	COMPUTER SCIENCE	60
52	Sagar	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN	60
		TOTAL	**870**
GOVERNMENT AIDED POLYTECHNIC COLLEGE			
53	Indore (Shri Vaishnav Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
		OPTO ELECTRONICS ENGG.	60
		PRODUCTION ENGG.	60
		TEXTILE TECHNOLOGY	60
		OPTHALAMIC TECH.	60
		AUTOMOBILE ENGG.	30
54	Vidisha (SATI-Polytechnic)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
		TOTAL	**930**

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2011–12 के लिये प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः–

2.1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–</u>

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

2.2. <u>परिभाषाएंः–</u>

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) ''**समुचित प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) ''**प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ) ''**ए.आई.सी.टी.ई.**'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम,1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) ''**उपाबंध**'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) ''**सामान्य प्रवेश परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा या उसके व्दारा प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श व्दारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) ''**सक्षम प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ–1) "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस,बीडीएस आदि)''

(ज) ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) ''**अनिवासी भारतीय**'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) ''**प्राचार्य**'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) ''**व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम व्दारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय व्दारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ढ) **''एकल खिड़की प्रणाली**'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) ''**व्यापम**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार है:–

1. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है, दिया जावेगा।
5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे

है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। **अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल–निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल–निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।**

2.3. लागू होना:–

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.ई., बी.फार्मा, तथा डी.फार्मा, संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियम:–

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता–

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:–

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत ।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या

उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण–

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणी :

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारुप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश

क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) <u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :</u>

जम्मू एंव काश्मीर राज्य विस्थापितों के लिये प्रत्येक शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित प्रत्येक स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप–12 में जम्मू काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप–13 में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना

के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे.

(ड) **एन.आर.आई. (NRI) सीटें:–**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.4.3 **प्रवेश हेतु पात्रता :**

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण} होना अनिवार्य होगा

नोट:–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।
2. पीपीटी–2011 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2010–11 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी ।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप –7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रारुप–8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–
(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप–9 में),

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–10 में),

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–11 में),

स्पष्टीकरण–1 अभिभावक :–

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही

उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री</u> :
यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो , ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2.4.4 <u>प्रवेश की रीति</u>

राज्य या केन्द्रीय सरकार व्दारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों व्दारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।
राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी–2011 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।

2.5 <u>प्रवेश की प्रक्रिया</u>

2.5.1 *<u>ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया</u>* *<u>(Online Offcampus Admission Procedure)</u>:*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ

कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.5.2 ***अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–***

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5.3 **अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –**
अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

2.6.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पीपीटी 2011 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

2.6.2 **प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार**
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीपीटी–2011 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारुप 14 में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6.3 **योग्यता क्रम सूचियां**
2.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी..पी.टी. –2011 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित

जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.पी.टी. 2011 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –

प्रथम गणित, द्वितीय विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन)

टिप्पणीः–

1. सभी प्रश्न पत्रों में एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. 2.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.4.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल PPT-2011 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे

2.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई **योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा** प्रवेश दिया जावेगा।

2.6.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org /www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा

2.6.4.4 **मूल प्रमाण–पत्र**

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे । तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है ।

2.6.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.6.4.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.7 प्रवेश का क्रम :–

2.7.1 सक्षम प्राधिकारी व्दारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रकिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, संस्था स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के चरण के प्रारंभ होने के पूर्व तक भरने की अनुमति दी जायेगी।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे। किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करेगा तथा ये स्थान रिक्त रखे जाएगें।

2.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

2.7.4 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.7.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों । महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

2.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से 1000/–रू. की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी। तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण

उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा.

2.9 <u>शिक्षण तथा अन्य फीस :–</u>

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

2.10 <u>नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः–</u>

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

2.11 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.12 <u>पाठ्यक्रमः–</u>

ए.आई.सी.टी.ई. व्दारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

2.13 <u>निर्वचनः–</u>

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

2.14 <u>अधिकारिताः–</u>

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

तालिका–1

सत्र 2011–2012 में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संस्थावार एवं ब्रांचवार संभावित सीटों की संख्या

PRIVATE INSTITUTIONS			
1	RAMNATH SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
		TOTAL	**300**

GRAND TOTAL	**11392**

प्रारूप–1

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:	....
पिता का नाम	:	....
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:	....
धर्म	:	....
व्यवसाय	:	....
पता	:	....
		....
		....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि –

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला........................ (म.प्र.) के लिये घोषित ....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.................................. को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी – जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

प्रारूप–2 (अ)

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक....................................... प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी... पिता / पति का नाम.. निवासी ग्राम / नगर....................... .... वि.खं... तहसील.......................................जिला.. संभाग............. .... के..जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी.. पिता / पति का नाम... ....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..है।

दिनांक .... **हस्ताक्षर**
(सील) **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी,वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2 (ब)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम... निवासी ग्राम/नगर...................... .... वि.खं.. तहसील.......................................जिला... संभाग............ .... के...जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.......................................पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
                                                                                                   पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप–3 (अ)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक... प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री श्री..
निवासी ग्राम/शहर... तहसील.................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.. संभाग.................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप–3 (ब)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक... प्रकरण क्रमांक...
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री श्री...
निवासी ग्राम/शहर.. तहसील..................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.. संभाग................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी...
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .... **हस्ताक्षर**
(सील) **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप–4 (भाग–अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक...........................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)... वर्ष...................................... .के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक..................................था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक...के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.......................में हो चुकी है।

स्थान : .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः ....

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–4 (भाग–ब)</u>

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक....................................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष................................ के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी...के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक...से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान :..........................
दिनांकः..........................

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग
(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ **दिनांक..........................**

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)... वर्ष....................के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से..पर (पाठ्यक्रम का नाम)... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से...(स्थान) तहसील.. जिला..में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :........................
दिनांकः..........................

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप – 6</u>

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ **दिनांक..........................**

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती..(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमती...................... ....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है।

2. श्री/श्रीमती..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला ....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक...................... पर पंजीकृत है।

स्थान :..........................
दिनांकः..........................

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

प्रारूप–7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ **दिनांक..........................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री...जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष................. के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था... ....(संस्था का नाम) में सत्र..से सत्र......................................तक अध्ययन किया है।

स्थान :........................ संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

दिनांकः.......................... **नाम एवं पद..**

(कार्यालय सील)

प्रारूप–8

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक...........................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.. जो तहसील.................................. जिला...मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से ..कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है।

इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा
(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान : ....
दिनांक: ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप–9

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक..........................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष.......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती..का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो...विभाग में..पद पर ....(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो...विभाग में..पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ....(तिथि) को इस विभाग से सेवा निव्त्त हुएं।

अथवा

(ग) जो...विभाग में..पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए...............................(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो...विभाग में..पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान : ....

दिनांकः ....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप–10

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री...जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती... का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2011 अथवा उसके पूर्व की तिथि............................... से मध्यप्रदेश में स्थित..विभाग में...पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान :.......................... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....

दिनांकः.......................... नाम एवं पद..

(कार्यालय सील)

प्रारूप–11

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)............................... .... वर्ष....................... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती...का/की पुत्र/पुत्री है, जो..योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :..........................   **हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट**

दिनांकः..........................   **(कार्यालय सील)**

प्रारूप–12

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण–पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that ....
S/o or D/o ....
R/o .... Tehsil ....
District...
A/P.................................... Pin .... is registered from
No. .... R/Card No ....
At S. No. .... of his/her father
ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar **Zonal Officer / Tehshildar**

प्रारूप–13

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष .... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री.. (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती.. मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान ....   **हस्ताक्षर**
दिनांक ....   **(सील)**

प्रारूप–14

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा / श्री .... ने वर्ष .... की .... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....
दिनांक ....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :– ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा ।